

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या- 4

मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,  
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ।

सिनेमागृहों/केबिल टेलीविजन केन्द्रों/डीटी0एच0 प्रसारण सेवा केन्द्रों/अन्य आमोदों में लागू प्रावधानों का सम्यक अनुपालन एवं देय मनोरंजन कर आदि की नियमित व समुचित अदायगी सुनिश्चित करने हेतु इनका नैतिक/आकस्मिक निरीक्षण जनपद में तैनात विभागीय अधिकारी /सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी) तथा मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। विभाग में कार्य निस्तारण की समय सारिणी निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:-

क्र०सं०	कार्य	अवधि
1.	लाइसेंस /अनुमति हेतु नये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की अवधि	सामान्यतः 07 कार्य दिवसों में तथा अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर जॉचोपरान्त विलम्बतम् 01 माह अथवा 30 कार्य दिवसों में ।
2.	स्थाई एवं अस्थाई आमोदों को प्रपत्र 'ख' पुस्तिका जारी करने की अवधि (यदि निर्धारित शुल्क उसी दिन राजकोष में जमा हो गया हो तो)	उसी दिन सांयकाल 5.00बजे तक ।
3.	स्थाई एवं अस्थाई आमोदों के द्वारा साप्ताहिक/मासिक मनोरंजन कर की धनराशि भुगतान करने से पूर्व ट्रेजरी चालानों के सत्यापन/पास करने का समय	जिला मनोरंजन कर कार्यालयों के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक ।

उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार कार्यों के निस्तारण हेतु, मुख्यालय द्वारा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को पत्र सं० 1584/मनोरंजन/अनु०/154-सां०/2005-06 दिनांक 09.8.2003 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।

(संज्ञक)

संज्ञक

(संज्ञक)

संज्ञक